छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा   नवम् सत्र   अंक-04

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 15 मार्च, 2012

(फाल्गुन-25, शक संवत 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 10 (कुल 10) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 28 तारांकित एवं 35 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 06 पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने धान की कस्टम मिलिंग न कर धान की अफरा-तफरी किये जाने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) महंत श्री रामसुंदर दास, सदस्य ने प्रदेश में संचालित शासकीय महाविद्यालयों में संस्कृत भाषा के अध्ययन-अध्यापन बंद किये जाने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री भईयालाल राजवाड़े, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) महंत श्री रामसुंदर दास, सदस्य ने जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नरियरा में विद्युत स्टेशन की स्थापना शीघ्र की जाने,

(2) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने विकासखंड पंडरिया के ग्राम कुकदुर में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्राचार्य द्वारा अनियमितता की जाने, एवं

(3) श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन का उपयोग नहीं किये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

5. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री विरेन्द्र कुमार साहू, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन इस प्रकार है:-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 16 मार्च, 2012 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है:-

अशासकीय संकल्प क्रं.	*सदस्य का नाम*	*समय*
1. (क्रमांक - 01)	महंत श्री रामसुंदर दास	2 घंटा
2. (क्रमांक - 11)	डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी	30 मिनट

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

1. महंत श्री रामसुंदर दास, सदस्य ने संस्कृत विषय में क्लासिक्स की उपाधि प्राप्त छात्रों को शिक्षाकर्मी भर्ती में मान्यता प्रदान किये जाने,
2. श्री अमितेश शुक्ल, सदस्य ने जिला गरियाबंद अंतर्गत -
   (i) विकासखण्ड छुरा के ग्राम कोसमबुडा से खपरी तक मार्ग निर्माण करने,
   (ii) ग्राम तर्रा एवं ग्राम कुरूसकेरा में तटबंध निर्माण करने,
   (iii) ग्राम खुसरूपाली में तटबंध निर्माण करने,
   (iv) राजिम में कन्या महाविद्यालय खोलने,
   (v) छुरा में 133 के.व्ही. सब स्टेशन निर्माण करने,
   (vi) राजिम में बी.एड. कालेज खोलने, एवं
3. श्री गुरू रूद्र कुमार, सदस्य ने आरंग विकासखण्ड अंतर्गत आरंग में कन्या छात्रावास निर्माण करने के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत की ।

7.महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा(क्रमशः)

सर्वश्री खेदूराम साहू,

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री मोहम्मद अकबर, फूलचंद सिंह,

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी,

(सभापति महोदय (डॉ.हरिदास भारद्वाज) पीठासीन हुए।)

श्री भजन सिंह निरंकारी,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सर्वश्री दीपक कुमार पटेल, महंत रामसुंदर दास, संतोष बाफना, शिवराज सिंह उसारे, रविन्द्र चौबे (नेता प्रतिपक्ष)।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए ।)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से महामहिम राज्यपाल के कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा पूर्ण होने तथा मत लिये जाने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

समस्त संशोधनों पर एक साथ मत लिया गया।

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 5.49 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनाँक 16 मार्च, 2012 (फाल्गुन, 26 शक संवत् 1933) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा